



0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd, Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner - 334001

Email: ro-bikaner@gmail.com

www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-634/1419

DATE: 06/01/2021

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub:-Regarding Public Hearing for Environment Clearance of Mining Project of M/s Geeta Devi W/o Sh. Dilip Saraswat, Sh. Hariram S/o Sh. Jagdish, (Mining Ref No. 2019100003539), Near Village-Sarah Buchawas, Teh-Lunkaransar, Dist-Bikaner.

Ref:- Public hearing conducted on dated 23.12.2020.

Sir,

Apropos above the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of M/s Geeta Devi W/o Sh. Dilip Saraswat, Sh. Hariram S/o Sh. Jagdish, (Mining Ref No. 2019100003539), Near Village-Sarah Buchawas, Teh-Lunkaransar, Dist-Bikaner was conducted on 23.12.2020 at Gram Panchayat Bhawan Parisar, Hansera, Teh-Loonkaransar, Dist-Bikaner.

The minutes of the public hearing along with CD of videography of proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State Level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

Enclosed:-

- (i) One set of minutes of the Public Hearing
- (ii) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
- (iii) One set of Photographs

Yours Sincerely

Sol
(Prema Lal Raigar)
Regional Officer
RSPCB, Bikaner

Copy to following for information & necessary action:-

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (City), Bikaner.
3. Analyst cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. M/s Geeta Devi W/o Dilip Saraswat, C-24, Narayan Vihar Basti, Ambedkar Colony, Bikaner.

Prema Lal Raigar
Regional Officer

जन-सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश की बीकानेर जिले में निकट ग्राम सराह बुच्चावास, तहसील-लूणकरणसर में प्रस्तावित बजरी, ग्रेवल, एवं मुर्रम माईन परियोजना (खनन रेफरेन्स नम्बर 2019100003539) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11:30 बजे से जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत भवन परिसर, हंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला-बीकानेर (राजस्थान) में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मैसर्स गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश की खनन परियोजना बजरी, ग्रेवल एवं मुर्रम संदर्भ संख्या 2019100003539, क्षेत्र 3.9990 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,91,040 टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11:30 बजे से जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत भवन परिसर, हंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला-बीकानेर (राजस्थान) में आयोजित की गई।

खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

मैसर्स गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश, रेफरेन्स नम्बर 2019100003539, क्षेत्रफल 3.9990 हैक्टेयर, निकट ग्राम सराह बुच्चावास, तहसील-लूणकरणसर, जिला-बीकानेर (राज.)।

उपरोक्त जनसुनवाई की विज्ञप्ति दैनिक राजस्थान प्रदीप में (संलग्नक-'अ') दिनांक 21.11.2020 एवं दैनिक भास्कर में (संलग्नक-'ब') दिनांक 21.11.2020 में प्रकाशित करवाई गई थी तथा जनसामान्य से लिखित आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से जनसुनवाई तक आमंत्रित किए गए।

यह जनसुनवाई राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा एवं सुश्री सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर (प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में नामित अधिकारीगण व क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक-'स')। जनसुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी कराई गई।

जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रेमालाल रैगर ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा जनसुनवाई के उद्देश्य के बारे में जानकारी देने हेतु "मैसर्स गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश" के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स ओवरसीज मिनटेक कन्सलटेन्ट्स" के प्रतिनिधि को परियोजना की

विस्तृत जानकारी एवं परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव तथा शमन उपायों के संबंध के बारे में आमजन को प्रोजेक्टर के माध्यम से देने हेतु कहा गया।

इसके पश्चात परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स ओवरसीज मिनटेक कन्सलटेन्ट्स" के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बजरी, ग्रेवल एवं मुर्रम माईन (रेफरेन्स नम्बर 2019100003539) परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि यह खनन इकाई एक क्लस्टर जिसका क्षेत्र 6.0968 हैक्टेयर है, का भाग है तथा इस खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 3.9990 हेक्टेयर है तथा यह खान बजरी, ग्रेवल एवं मुर्रम का उत्पादन 1,91,040 टन प्रतिवर्ष के लिए है। प्रस्तावित परियोजना का आधारभूत अध्ययन (Baseline Study) मानसून के बाद (अक्टूबर-दिसंबर 2019) में किया गया। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया क्षेत्र, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर), बीकानेर ने ग्रामवासियों से इस खनन क्षेत्र में के बारे में आक्षेप एवं सुझाव मांगें।


जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुह द्वारा दिये गये आक्षेप/सुझाव/प्रश्न एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नानुसार है:-


क्र.स.	आक्षेप/सुझाव पूछने वाले का नाम व पता	आक्षेप/सुझाव/प्रश्न	निराकरण सम्बन्धी प्रस्ताव
1.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री सियाराम निवासी गांव-हंसेरा	माईन्स के कारण उड़ने वाले धुल कणों के कारण निकटवर्ती खेतों में फसल नष्ट होती है उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि खनन क्षेत्र में व सड़क के किनारे पानी का छिडकाव करेंगे जिससे निकटवर्ती खेतों की फसल नष्ट नहीं होगी।
2.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री सियाराम निवासी गांव-हंसेरा	माईन्स में ट्रकों के ओवर लोडिंग से बचने के लिए क्या करेंगे ?	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि पट्टाधारी द्वारा वादा किया गया है कि ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी।
3.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री सियाराम निवासी गांव-हंसेरा	माईन्स में उपस्थित खेजड़ी के पेड़ों के क्या उपाय करेंगे ?	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि खनन पट्टा क्षेत्र में खेजड़ी के पेड़ नहीं काटे जायेंगे यदि कोई खेजड़ी का पौधा खनन पीट में भी है तो वहाँ से उनको शिफ्ट कर देंगे।

AM

4.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री सियाराम निवासी गांव-हंसेरा	माइन्स मे आने वाले पालतु जानवरो जैसे गाय, बकरी आदि के लिए क्या उपाय करेंगे ?	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि माइन्स में पालतु पशु न आ पाये इसके लिये माइन्स के चारो तरफ तारबंदी की जायगी।
5.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री सियाराम निवासी गांव-हंसेरा	सडको के रख रखाव के लिए क्या उपाय करेंगे ?	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि परियोजना मे सडको के रख रखाव के लिए CSR प्रस्तावित किया गया है।
6.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री सियाराम निवासी गांव-हंसेरा	अवैध खनन से हुए गडडो मे पशु गिरकर मर जाते है उनके लिए क्या उपाय करेंगे ?	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि माइन्स में पालतु पशु न आ पाये इसके लिये माइन्स के चारो तरफ तारबंदी की जायगी।
7.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री सियाराम निवासी गांव-हंसेरा	परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार यादव ने बताया कि परियोजना मे स्थानीय लोगो को प्राथमिकता के साथ रोजगार दिया जायेगा।

अंत में सुश्री सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर एवं श्री प्रेमा लाल रैगर, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।


 (प्रेमा लाल रैगर)
 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
 बीकानेर (राजस्थान)


 (सुनीता चौधरी)
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
 प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट,
 बीकानेर

बताया गया।
यह भी पाया गया कि
पर कार्यरत कर्मचारीगण को
2019 के पश्चात से आज तक

उपस्थित कर्मचारीगण ने इस बात को
लेकर पीड़ा जाहिर की कि उन्हें कई माह
से वेतन नहीं मिल रहा है। कोविड-19 के

उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त केन्द्र
पीड़ित व उत्पीड़न की शिकार महिलाओं
को अविलंब सहायता व राहत दिलाने हेतु
स्थापित किया गया है।

समर्थन



से 21 से पुष्पा कंवर
की अपील की इस
पूर्व सरपंच झड़ू,
प्रतिनिधी हदां,
प्रतिनिधि लम्पाना
सरपंच भेलू,
प्रतिनिधि खिंदासर,
सरपंच नैणिया,
च झड़ू, गोपीराम
चक्रविजय सिंह
खूसर, मदन गोपाल
कोटड़ी एवं अनेक
सैंकड़ों कार्यकर्ता
शिक्षा मंत्री भाटी का
सभा क्षेत्र के गांवों
नसम्पर्क कार्यक्रम
खारिया पातावतान,
गान, गोविन्दसर,
नसर, पेथड़ो की
देवड़ो की द्वाणी,
सर, सेवड़ो आदि

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
क्रमांक राप्रनिम/बीका/तक/बीका/बीएम-634/1130 दि. 20.11.2020
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश ने खनन पट्टा (Ref. No 2019100003539) क्षेत्रफल 3.9990 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,91,040 टी.पी.ए. निकट ग्राम शरह बुच्चावास, तहसील-श्रीलूणकरणसर, जिला-बीकानेर में बजरी, ग्रेवर, मुररम खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय लूणकरणसर जिला बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, लूणकरणसर जिला बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, हंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11.30 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, हंसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैंगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
क्रमांक राप्रनिम/बीका/तक/बीका/बीएम-635/1134 दि. 20.11.2020
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स रामुराम नायक और रज्जीराम मेघवाल ने खनन पट्टा 10/2018, क्षेत्रफल 3.991 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,19,625 एम.टी.पी.ए. (बॉल क्ले), 1,54,440 एम.टी.पी.ए. (सिलिका सैंड) एवं ऑक्ज बर्डन 70,920 टन, निकट ग्राम मढ़, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में बॉल क्ले व सिलिका सैंड खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि मैसर्स रामुराम नायक और रज्जीराम मेघवाल को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालय पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय श्रीकोलायत बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, श्रीकोलायत, बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैंगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल,
बीकानेर (राजस्थान)

सुविधा के लिए तीन रेलगाड़ियों में अस्थायी कोच बढ़ाए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि बीकानेर-दादर-बीकानेर द्विसप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल में बीकानेर से दिनांक 24 व 28 नवंबर, दादर से 25 व 29 नवंबर तक के लिए 1 थर्ड एसी व 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बा बढ़ाया गया है। ट्रेन बीकानेर-बांद्रा

स्पेशल में बीकानेर से 23 एवं 30 नवंबर तथा बांद्रा टर्मिनस से 24 नवंबर एवं 1 दिसंबर को 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की है। ऐसे ही बाड़मेर-यशवंतपुर-बाड़मेर एसी साप्ताहिक स्पेशल में बाड़मेर से 27 नवंबर, 4 एवं 11 दिसंबर को तथा यशवंतपुर से 30 नवंबर, 7 एवं 14 दिसंबर को 1 थर्ड एसी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है।

सं(2020)क-ब

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
क्रमांक: राजनि/बीका/त्क/बीका/बीएम-634/1130 दि. 20.11.2020

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश ने खनन पट्टा (Ref. No 2019100003539) क्षेत्रफल 3.9990 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1.91,040 टी.पी.ए. निकट ग्राम शरह बुच्चावास, तहसील-श्रीलूणकरणसर, जिला-बीकानेर में बजरी, ग्रेव, मुरम खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

2. और चूंकि मैसर्स श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से संबंधित सक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

- 01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय लूणकरणसर जिला बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, लूणकरणसर जिला बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, हसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

06. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 23.12.2020 को प्रातः 11.30 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, हसेरा, तहसील-लूणकरणसर, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीकानेर (राजस्थान)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
क्रमांक: राजनि/बीका/त्क/बीका/बीएम-635/1134 दि. 20.11.2020

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि :-

01. मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल ने खनन पट्टा 10/2018, क्षेत्रफल 3.991 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,19,625 एम.टी.पी.ए. (बॉल क्ले), 1,54,440 एम.टी.पी.ए. (सिलिका सैंड) एवं ऑबर बर्डन 70,920 टन, निकट ग्राम मद्, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में बॉल क्ले व सिलिका सैंड खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

2. और चूंकि मैसर्स रामुराम नायक और राजीराम मेघवाल को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।

3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।

4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

5. उक्त परियोजना से संबंधित सक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालय पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

- 01. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर। 02. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर। 03. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर। 04. पंचायत समिति कार्यालय श्रीकोलायत बीकानेर। 05. तहसील कार्यालय, श्रीकोलायत, बीकानेर। 06. ग्राम पंचायत कार्यालय, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला बीकानेर। 07. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर। 08. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान। 09. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान। 10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन परिसर, कोटड़ी, तहसील-श्रीकोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जाएगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रेमालाल रैगर) क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बीकानेर (राजस्थान)

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश, (खनन पट्टा रेफरेन्स नम्बर 2019100003539, क्षेत्रफल 3.9990 हैक्टेयर) की निकट ग्राम सरह बुच्चावास, तहसील-लूनकरणसर, जिला बीकानेर में प्रस्तावित माईनिंग परियोजना (उत्पादन क्षमता बजरी, ग्रेवल, मुर्रम-1,91,040 टी.पी.ए.) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 23.12.2020 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।















स्थान:- ग्राम पंचायत भवन परिसर, हंसेरा, तहसील-लूनकरणसर, जिला-बीकानेर
दिनांक:- 23.12.2020 समय प्रातः 11.30 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	सुनीता चौधरी RAS	ADM (city) Bikaner	
2.	प्रेमा लाल	क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रमिप, बीकानेर	
3.	मिहमा देवी	स्पेशल, हंसेरा, लूनकरणसर	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

जन सुनवाई हेतु नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स गीता देवी पत्नी श्री दिलीप सारस्वत, श्री हरिराम पुत्र श्री जगदीश, (खनन पट्टा रेफरेन्स नम्बर 2019100003539, क्षेत्रफल 3.9990 हैक्टेयर) की निकट ग्राम सरह बुच्चावास, तहसील-लूनकरणसर, जिला बीकानेर में प्रस्तावित माईनिंग परियोजना (उत्पादन क्षमता बजरी, ग्रेवल, मुर्रम-1,91,040 टी.पी.ए.) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 23.12.2020 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन परिसर, हंसेरा, तहसील-लूनकरणसर, जिला-बीकानेर
दिनांक:- 23.12.2020 समय प्रातः 11.30 बजे ।

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीकाशुआर	हंसेरा	
2.	अजीत सिंह	0 m r c जून्पर	
3.	बिरेन्द्र राम		
4.	पुष्कराम	हंसेरा	
5.	नौ लाल	हंसेरा	
6.	सुधाम	उदई शिप	
7.	मधुसूदन	हंसेरा	
8.	इशमल जंगली	हंसेरा	
9.	परनाराम शर्मा	हंसेरा	
10.	हंसलाल	हंसेरा	
11.	दशरथ	हंसेरा	
12.	श्यामल राम	हंसेरा	
13.	द्वारकाधर	हंसेरा	
14.	श्यामलाल	हरनाराम	
15.		जगदीश	

16.	अरुण	एलए	
17.	हरीराम खात्री	एलए	
18.	दीपाव	एलए	
19.	एलए	एलए	
20.	प्रभाकर	एलए	
21.	वेदा	एलए	
22.	पंचम खात्री	1 1 1 1	Pancham
23.	अरुण		
24.	मा. एलए	1 1	
25.	एलए	1 1	
26.	अरुण	1 1	
27.	एलए		
28.	अरुण	1 1	
29.	Arun Yadav	OMTC (Jaipur)	Ar
30.	Vivek Yadav	OMTC ()	Vivek
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			